रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1979/श्रावण 19, 1901
No. 254] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1979/SRAVANA 19, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

IndiaCode

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1979

सा. का. नि. 479(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46), की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में, उप-महानिदेशक (फसल विज्ञान) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के स्थान पर निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली को रजिस्ट्रीकरण समिति का अध्यक्ष नामनिर्देशित किया है। यह नामनिर्देशन तुरन्त प्रभावी होगा।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 के अनुसरण में, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1542, तारीख 13 अक्तूबर, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "अध्यक्ष" शीर्ष के नीचे, मद सं. (1) के सामने प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली"।

[फा. सं. 19-18/79-पी.पी.एस.]

ए. जे. एस. सोढी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1979

G.S.R. 479(E).—Whereas in pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government has nominated the Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi, as the Chairman of the Registration Committee with immediate effect vice the Deputy Director-General (Crop Sciences) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), No. G.S.R. 1542 dated the 13th October, 1971, namely :—

In the said notification under the heading 'Chairman', against item (i), for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"The Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi."

[F. No. 19-18/79-PPS]

A. J. S. SODHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979